



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2012/माघ 25, 1933
 No. 2421 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2012/MAGHA 25, 1933

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2012

का.आ. 276(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के क्रमशः स्तंभ (1) और स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक और पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक के, सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट सेक्षण के नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट सङ्केत खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :—

सारणी

नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	किलोमीटर में खंड
(1)	(2)	(3)	(4)
5 और 205	21	पंजाब राज्य में चंडीगढ़ से कुराली	कि.मी. 0.870 से कि.मी. 1.680 (पंजाब/चंडीगढ़ सीमा) तक और कि.मी. 6.800 (चंडीगढ़/पंजाब सीमा) से कि.मी. 28.600
5	21 (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग)	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में	15.275 कि.मी.

[फा. सं. एनएच-14013/19/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2012

S.O. 276(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, specified in column (4) of the Table below, of the Section as specified in the corresponding entry in column (3) of the Table, of the New National Highway No. and the Old National Highway No. as specified in the corresponding entry in columns (1) and (2) respectively of the Table, to

the National Highways Authority of India, namely:—

TABLE

New National Highway No.	Old National Highway No.	Section	Stretches in kilometers
(1)	(2)	(3)	(4)
5 and 205	21	Chandigarh to Kurali in the State of Punjab	From km. 0.870 to km. 1.680 (Punjab/Chandigarh Border) and from km. 6.800 Chandigarh/Punjab Border) to km. 28.600
5	21 (Complete National Highway in the Union Territory of Chandigarh)	In the Union Territory of Chandigarh	15.275 km.

[F.No. NH-14013/19/2011-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2012

का.आ. 277(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 20 और 26 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“20 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [कि.मी. 212.000 से कि.मी. 387.100 (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर), और कि.मी. 407.100 से कि.मी. 491.330 (जालंधर-अमृतसर-वाढा सीमा) तक को छोड़कर], सं. 10, सं. 15 [कि.मी. 6.082 से कि.मी. 108.502 (पठानकोट-अमृतसर खंड) तक को छोड़कर], सं. 20, सं. 21 [कि.मी. 0.000 से कि.मी. 1.680 और कि.मी. 6.800 से कि.मी. 73.200 (चंडीगढ़/ पंजाब सीमा-कुराली-कीरतपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 22 [कि.मी. 10.890 से कि.मी. 39.960 और कि.मी. 39.860 से कि.मी. 41.945 (जीरकपुर-पंजाब/हरियाणा सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 64, सं. 70, सं. 71 और सं. 95 [कि.मी. 92.000 से कि.मी. 170.000 (लुधियाना-तलवंडी) तक खंड को छोड़कर], का उतना भाग जो पंजाब राज्य में अवस्थित है।	पंजाब राज्य सरकार
26 चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं।	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सरकार ”

[फा. सं. एनएच-14013/19/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पणि : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार सं. का.आ. 2573(अ), 14 नवम्बर, 2011 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2012

S.O. 277(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in

the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial numbers 20 and 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“20	So much of National Highway Number 1 [excluding from km. 212.000 to km. 387.100 (Haryana/Punjab Border to Jalandhar) and from km. 407.100 to km. 491.330 (Jalandhar-Amritsar-Wagha Border)], No. 10, No. 15 [excluding from km. 6.082 to km. 108.502 (Pathankot-Amritsar Section)], No. 20, No. 21 [excluding from km. 0.000 to km. 1.680 and from km. 6.800 to km. 73.200 (Chandigarh/Punjab Border-Kurali-Kiratpur)], No. 22 [excluding from km. 10.890 to km. 39.960 and from km. 39.860 to km. 41.945 (Zirakpur-Punjab/Haryana Border)], No. 64, No. 70, No. 71 and No. 95 [excluding from km. 92.000 to km. 170.000 (Ludhiana-Talwandi)] as are situated within the State of Punjab.	State Government of Punjab
26	No National Highway within the Union Territory of Chandigarh.	Govt. of Union Territory of Chandigarh.”

[F.No. NH-14013/19/2011-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote : The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2573(E), dated the 14th November, 2011.